



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

जमाबंदी रद्द अपील वाद सं०-38/2018-19

ओवैस अख्तर बनाम मोहम्मद सलीम

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16.07.2021	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत अपील ओवैसी अख्तर, पिता-महसनूर रहमान, पता-अली नगर कॉलोनी, थाना-गर्दनीबाग, पो०-अनीसाबाद, पटना के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में संचालित जमाबंदी रद्द वाद सं० 100/2018-19 में दिनांक-12.02.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार दाखिल खारिज एक्ट-11 की धारा-9 (VI) चैप्टर-7 के अंतर्गत अपील प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक-02.12.2019 को उभय पक्ष उपस्थित। साथ अपीलकर्ता द्वारा "शपथ-पत्र" सहित वाद वापसी हेतु आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक-02.12.2019 को अपीलकर्ता के द्वारा वाद वापसी आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p>	